[1]राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1958
(1958 का अधिनियम सं. 28)

राज्यपाल की अनुमति तारीख 23 जून, 1958 को प्राप्त हुई।

राजस्थान राज्य में साहित्यिक, वैज्ञानिक, पूर्त तथा कतिपय अन्य सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपलब्ध करने के लिए अधिनियम।

अतः यह समीचीन है कि साहित्य,विज्ञान या ललित कलाओं की पदोन्नति के लिए या उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिए या राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए अथवा पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियों की विधिक परिस्थिति सुधारने के लिए विधि को समेकित तथा संशोधित किया जाये ।

भारत गणराज्य के नवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल यह अधिनियम बनाता है:–

1. **संक्षिप्त नाम,प्रसार तथा प्रारम्भः–** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज–पत्र[2] में अधिसूचना द्वारा नियम करे।

1–क. निवर्चनः–(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,इस अधिनियम में,–

(i)'रजिस्ट्रार' से राज्य की सहकारी सोसाइटियों का
रजिस्ट्रार अभिप्रेत है:

परन्तु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी को, नाम द्वारा या उसके पद के आधार पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी,और ऐसी दशा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी ऐसे प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार होगा,और

(ii) 'राज्य' या राजस्थान राज्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम,1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 द्वारा यथा निर्मित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

---

[1] राजस्थान राजपत्र असाधारण खण्ड 4(क) दिनांक 7.7.1958 को सर्वप्रथम प्रकाशित प्राधिकृत हिन्दी पाठ 2 अगस्त 1979 को प्रकाशित खण्ड 4(क) पृष्ठ संख्या 177 से 182

[2] अधिसूचना संख्या एफ. 11(12) आई एन डी (ए)/56, दिनांक 27.2.1959 द्वारा 1.4.1959 से प्रभावी, राज. राजपत्र भाग–IV-C दिनांक 12.3.1959 को प्रकाशित।

(2) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम,1955 (1955 काराजस्थान अधिनियम 8) के उपबन्ध यथाशक्य यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम पर लागू होंगे।

1–ख. संगम के ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण द्वारा सोसाइटियों का बनाया जानाः– किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक, या पूर्त प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो धारा 20 में वर्णित है, सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति एक संगम के ज्ञापन में अपने नाम हस्ताक्षरित करके और उसे रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आपको सोसाइटी के रूप में गठित कर सकेंगे।

2. **संगम के ज्ञापन की अन्तर्वस्तुः–** (1) संगम के ज्ञापन में निम्नलिखित बाते होंगी, अर्थात्–

(क) सोसाइटी का नाम,

(ख) सोसाइटी के उद्धेश्य,

(ग) परिषद्, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको कि सोसायटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम–काज का प्रबन्ध सौपा गया है, व्यवस्थापकों,निदेशकों,न्यासियों, सदस्यों (जिस किसी भी नाम द्वारा उन्हें पदाविहित किया जावे) के नाम, पते और उपजीविकाएं।

(2) सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति जो शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो,संगम के ज्ञापन के साथ दाखिल की जायेगी।

3. **रजिस्ट्रीकरण और फीसः–** (1) ऐसे ज्ञापन और प्रमाणित प्रति के दाखिल किये जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि उस सोसायटी की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जाती है।

[1] (2) ऐसे प्रत्येक पंजीकरण हेतु पंजीयक को इतना शुल्क,जितना कि राज्य सरकार समय समय पर निर्देशित करेगी,भुगतान किया जायेगा तथा इस प्रकार भुगतान किये गये समस्त शुल्कों को राज्य सरकार के लेखाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

4. **वार्षिक सूची का फाइल किया जाना :–** हर वर्ष में एक बार,उस दिन के, जिसको कि सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों के अनुसार सोसायटी का वार्षिक साधारण अधिवेशन किया जाता है।,उत्तरवर्ती चौदहवें दिन को या उससे पूर्व या यदि नियमों तथा विनियमों में वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए उपलब्ध नही है तो जनवरी के मास में रजिस्ट्रार के पास एक सूची दाखिल की जायेगी जिसमें परिषद् समिति या अन्य शासी निकाय के व्यवस्थापकों,निदेशकों न्यासियों या सदस्यों के,जिनको सोसाइटी के काम–काज का प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो,नाम,पते और उपजीविकाएं होगी ।

---

[1] राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग 4(क) दिनांक 11.11.1992, पृष्ठ 155(1) द्वारा प्रस्थापित।

4–क. शासी निकाय और नियमों में हुए परिवर्तनों का फाईल किया जानाः–

(1) धारा 4 में वर्णित सूची के साथ,रजिस्ट्रार को एक विवरण,जिसमें उस परिषद समिति या अन्य शासी निकाय जिसे सोसाइटी के काम काज का प्रबन्ध सौपा हुआ हो, के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में उस वर्ष जिससे सूची सम्बन्धित है, के दौरान किये गये समस्त परिवर्तन दर्शित किये जायें,तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति भी जो अद्यतन शुद्ध कृत हो और शासी निकाय के व्यवस्थापको, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो,भेजी जायेगी।

(2) सोसाइटी के नियमों और विनियमों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति,जो पूर्वोक्त रीति से सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, ऐसे प्रमाणित करने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी ।

4– ख. धारा 4 या 4–क के अनुपालन अथवा मिथ्या प्रविष्टि के लिए शास्तिः–

(1) यदि अध्यक्ष, सचिव या सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा अथवा सोसाइटी की शासी निकाय के किसी संकल्प द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, धारा 4 या धारा4–क के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ,दोष सिद्धि पर जुर्माने से पॉच सौ रूपये तक का हो सकेगा और ऐसे अपराध के लिए प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् भंग के चालू रहने की दशा में प्रत्येक दिन जिसके दौरान व्यक्तिक्रम चालू रहता है, के लिए पचास रूपये से अनधिक अतिरिक्त जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा4 के अधीन फाइल की गई सूची में या धारा 4–क के अधीन रजिस्ट्रार कों भेजे गये किसी विवरण में या नियमों और विनयिमों की या उनमें किये गये परिवर्तनों की प्रति में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है या कराता है तो वह दोष सिद्धि पर, जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा,दण्डनीय होगा ।

4–ग. धारा 4 ख के अधीन अपराधों का संज्ञानः– प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय धारा–4 ख के अधीन किसी अपराध पर विचारण नही करेगा और न ऐसे किसी अपराध का संज्ञान,रजिस्ट्रार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में किये गये परिवाद के बिना किया जायेगा।

5. सोसाइटी की सम्पत्ति किसमें निहित होगी :– (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की या उसके द्वारा धारित या अर्जित स्थावर और जंगम सम्पत्ति,यदि सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर न्यासियों में निहित नही है तो ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय में तत्समय इस प्रकार निहित समझी जायेगी और सभी सिविल आपराधिक कार्यवाहियों में ऐसी शासी निकाय की सम्पत्ति के रूप में वर्णित की जा सकेगी।

(2) जहां कोई सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के लिए किसी सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर न्यासियों में निहित है या निहित होनेवाली है और कोई नये न्यासी धारा 5–क के अधीन और अनुसार नियुक्त किये गये है तो किसी लिखित में अथवा सोसाइटी के नियमों औरविनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उक्त सम्पत्ति बिना किसी हस्तान्तरण या अन्य आश्वासन के बाद ऐसे नये न्यासियों तथा बने रहे पुराने न्यासियों में संयुक्त रूप में निहित हो जायेगी,या यदि कोई बने रहे पुराने न्यासी हैं तो उसी न्यास पर ऐसे नये न्यासियों में,उन्ही शक्तियों और उपबन्धो सहित तथा उनके अध्यधीन पूर्णतः उसी प्रकार निहित हो जायेगी जिस प्रकार कि वह पुराने न्यासियों में निहित थी।

5–क. नये न्यासियों की नियुक्तिः– (1) जब किसी ऐसे न्यासी या न्यासियों जिनमें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की या उसके द्वारा धारित या अर्जित सम्पत्ति ऐसी सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर निहित है, के स्थान में या उनके अतिरिक्त नया न्यासी या न्यासियों को नियुक्त करना आवश्यक है हो जाय तो ऐसा या ऐसे नये न्यासी–

(क) ऐसे किसी लिखित जिसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति इस प्रकार निहित है या जिसके द्वारा वह न्यास जिस पर वह सम्पत्ति धारित है,घोषित किया गया है,द्वारा विहित रीति से, या

(ख) उस दशा में जबकि उक्त रीति इस प्रकार विहित नही की गई है या किसी कारणवश ऐसा नया न्यासी उक्त रीति से नियुक्त नही किया जा सकता है,

(i) ऐसी रीति से जैसा कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों के सदस्यों द्वारा करार पाई जाये,या

(ii) उस सभा में, जिसमें कि नियुक्ति की जाय,वस्तुतः उपस्थित ऐसे सदस्यों में से दो तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत से नियुक्त किये जा सकेगें।

(2)किसी नये न्यासी की उप धारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, उस सभा के,जिसमें ऐसी नियुक्ति की जाय, तात्कालिक अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तथा ऐसी सभा की उपस्थिति में दो या अधिक विश्वसनीय साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित ज्ञापन के द्वारा की जायेगी,और ऐसा ज्ञापन भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री किये जाने योग्य दस्तावेज समझा जायेगा ।

6. सोसाइटियों द्वारा तथा उनके खिलाफ वादः– इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हर एक सोसाइटी ऐसे नाम में,जैसा कि सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय और ऐसे अवधारण के अभाव में,उसके अध्यक्ष या सचिव अथवा न्यासियों के नाम में वाद ला सकेगी अथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा।

7. **वादों का उपशमन न होगाः–** किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही का इस कारण उपशमन नही होगा या वह बंद नही होगी कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके खिलाफ, ऐसा वाद या कार्यवाही लाया गया या जारी रखी गई थी,मर गया है या उस हैसियत में कायम नही रह गया है, जिसके नाम सेवह वाद लाया था या उस पर वाद लाया गया था,किन्तु वही वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम में या उसके खिलाफ जारी रखी जा सकेगी।

8. **सोसाइटी के खिलाफ निर्णय का प्रर्वतनः–** (1) यदि सोसाइटी की ओर से किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कोई निर्णय प्राप्त किया जाता है तो ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति या अधिकारी की स्थावर या जंगम सम्पत्ति के खिलाफ या वैयक्तिक रूप से उसके खिलाफ प्रवृत्त नही किया जायेगा किन्तु सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ प्रवृत्त किया जायेगा।

(2) निष्पादन के लिए आवेदन में, निर्णय और उस पक्षकार के, जिसके विरूद्ध उसे प्राप्त किया गया हो, केवल सोसाइटी की ओर से यथास्थिति वाद लाने या उसके विरूद्ध वाद लाये जाने की बात उपवर्णित होगी और यह अपेक्षा की जायेगी कि निर्णय को सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ,प्रवर्तित कराया जाय।

9. **उप विधि के अधीन प्रोद्भूत होने वाली शास्ति की वसूलीः–** जब कभी किसी उप विधि द्वारा, जो सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार सम्यक्तः बनाई गई हो या यदि नियम या विनियम उप–विधियां बनाने के लिए उपबंध नही करते है तो किसी ऐसे उप–विधि द्वारा, जो उस प्रयोजन के लिए बुलाये गये सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में वस्तुतः उपस्थित सोसाइटी के सदस्यों के तीन बटा पांच से अन्यून बहुमत द्वारा बनाई गई हो,सोसाइटी के किसी नियम,विनियम य उप–नियम के भंग के लिए कोई धन –सबंधी शास्ति अधिरोपित की जाती है तो ऐसी शास्ति जब प्रोद्भूत हो जायें,किसी ऐसे न्यायालय में वसूल की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता उस स्थान में हो जहां प्रतिवादी निवास करता है या वहां हो जहां सोसाइटी स्थित है, जैसा भी सोसाइटी का शासी निकाय समीचीन समझे।

10. **सदस्यों का अपने खिलाफ अन्य पक्षकारों के रूप में वाद लाये जाने के दायित्वधीन होनाः–**(1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के ऐसे सदस्य के खिलाफ,जिसकी तरफ कोई चन्दा बकाया हो,जिसे वह सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार संदत्त करनें के लिए आबद्ध है,या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति पर स्वयं कब्जा या उसका विरोध इस रीति से या इतने समय तक कर लेता है जो ऐसे नियमों और विनियमों के प्रतिकुल है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुॅचाता है या नष्ट करता है,ऐसे बकाया के लिए या सम्पत्ति के

ऐसे कब्जे,निरोध क्षति या नाश से प्रोदभूत होने वाले नुकसान के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से,वाद लाया जा सकेगा ।

(2) यदि प्रतिवादी, सोसाइटी की प्रेरणा पर उप धारा (1) के अधीन लाये गये किसी वाद या कार्यवाही में सफल होता है और उसके पक्ष में खर्चो की वसूली का अधिनिर्णय दिया जाता है तो वह उस अधिकारी से जिसके नाम से वाद या अन्य कार्यवाही की गई थी अथवा सोसाइटी से, उन्हें वसूल करने का निर्वचन कर सकेगा और पश्चात्वर्ती दशा में वह उपर वर्णित रीति से उक्त सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ आदेशिका प्राप्त कर सकेगा ।

11. अपराधों के दोषी सदस्यों का अन्य पक्षकारों के रूप में दण्डनीय होनाः— इस अधिनियम के अधीन,रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का कोई सदस्य जो उस सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति को चुरायेंगा,हडपेगा या उसका गबन करेगा अथवा किसी सम्पत्ति को जानबूझकर और द्विवेषता से नष्ट करेगा या क्षति पहुचायेगा अथवा किसी विलेख,बंधपत्र, धन की प्रतिभूति, रसीद या अन्य लिखित को कुटरचित करेगा जिससे सोसाइटी की निधियां हानि की जोखिम में पड जायें वैसे ही अभियोजनीय होगा, और यदि सिद्ध दोष हुआ तो वैसी ही रीति से दण्डनीय होगा जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो सोसाइटी का ऐसा सदस्य न हो वैसे ही अपराध की बाबत अभियोजनीय और दण्डनीय होता।

12. सोसाइटियों के प्रयोजनों को परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करने अथवा समामेलित करने के लिए समर्थ बनानाः—(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के जो किसी विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई है शासी निकाय को प्रतीत हो कि ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों को इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत किसी अन्य प्रयोजन या प्रयोजनों में या उनके लिए परिवर्तित,विस्तारित या न्यून करना या ऐसी सोसाइटी को पूर्णतः या अंशंतः किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करना उयुक्त होगा तब ऐसी शासी निकाय उस प्रस्थापना को लिखित या मुद्रित रिपोर्ट के रूप में सोसाइटी के सदस्यों को निवेदित कर सकेगा तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार उस पर विचार करने के लिए विशेष साधारण अधिवेशन बुला सकेगा ।

(2) ऐसी कोई प्रस्थापना तब तक कार्यान्वित नही की जायेगी जब तक कि ऐसी रिपोर्ट उस पर विचार करने के लिए शासी निकाय द्वारा बुलाये गये साधारण विशेष अधिवेशन से दस दिन पूर्व सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को परिदत्त नहीं कर दी जाती या डाक द्वारा नहीं भेज दी जाती और जब तक ऐसी प्रस्थापना के प्रति सहमति, सदस्यों के दो बटा तीन के मतों द्वारा जो स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त किये गये हो, नहीं दे दी जाती और पूर्ववर्ती अधिवेशन के पश्चात् एक मास के अन्तराल से

शासी निकाय द्वारा बुलाये गये दूसरे विशेष अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन के मतो द्वारा पुष्टि नहीं करदी जाती।

12–क सोसाइटी का नाम परिवर्तनः– इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी अपना नाम तत् प्रयोजनार्थ बुलाये गये विशेष साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा अपने सदस्यों के दो बटा तीन से अन्यून सदस्यों की सम्मत्ति से सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार तथा धारा 12–ख के उपबन्धों अध्यधीन परिवर्तित कर सकेगी।

12–ख नाम परिवर्तन की सूचनाः–(1) नाम में प्रत्येक परिवर्तन की लिखित सूचना जिस पर सचिव के तथा नाम परिवर्तन करने वाली सोसाइटी के सात सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे,रजिस्ट्रार को,धारा 12–क के अधीन संकल्प पारित होने से पन्द्रह दिन के भीतर भेजी जायेगी ।

(2) रजिस्ट्रार,यदि उसका समाधान हो जाय कि नाम परिवर्तन के बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया गया है,नाम परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण करेगा और उस मामले की परिस्थितियों का समाधान करने के लिए परिवर्तित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) नाम परिवर्तन उप–धारा (2) के अधीन प्रमाण पत्र जारी होने पर पूर्ण हो जायेगा और उसके जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा ।

(4) रजिस्ट्रार उप–धारा (2) के अधीन जारी किये गये प्रमाण पत्र की किसी प्रतिलिपि के लिए एक रूपया फीस प्रभारित करेगा और इस प्रकार संदत्त की गई समस्त फीस का लेखा जोखा राज्य सरकार को दिया जायेगा ।

12–ग. नाम परिवर्तन का प्रभावः– इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के नाम परिवर्तन के परिणामस्वरूप उस सोसाइटी के किन्हीं भी अधिकारों अथवा बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा और न सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्ध की गई कोई विधिक कार्यवाही त्रुटियुक्त बनेगी और कोई विधिक कार्यवाही जो उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से चालू रखी जा सकती थी,उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्ध उसके नये नाम से चालू रखी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी ।

13. सोसाइटी के विघटन और उनके काम–काज के समायोजन के लिए उपबन्ध :– इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के दो बटा तीन से अन्यून कितने ही सदस्य अवधारित कर सकेंगे कि उसे विघटित कर दिया जाय और तब तक तत्क्षण या तत्समय सहमत समय पर विघटित करदी जायेगी और सोसाइटी की सम्पत्ति और उसके दावों और दायित्वों के निपटारे और व्यवस्थापन के लिए,उसको लागू उस सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों, और यदि कोई न हो तो जैसा शासी निकाय या वह विशेष समिति,जो सोसाइटी के काम काज के परिसमापन पर प्रभाव डालने वाले समस्त मामलों के

बारे में शासी निकाय के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के लिए बनाई गई हो,समीचीन समझे उसके अनुसार, सब आवश्यक कार्यवाही की जायेगीः

परन्तु–

(i) उक्त शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों,प्रवासियों अथवा सदस्यों अथवा यदि वह विशेष समिति द्वारा यथा पूर्वोक्त प्रतिस्थपित करदी गई हो तो उसके सदस्यों अथवा सोसाइटी के सदस्यों के बीच कोई विवाद पैदा होने की दशा में उसमें काम काज का समायोजन, उस जिले के जिसमें सोसाइटी का मुख्य कार्यालय स्थित है, आरम्भिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय को निर्दिष्ट किया जायेगा, और न्यायालय मामलें में ऐसा आदेश करेगा जैसा वह अपेक्षणीय समझे,

(ii) कोई मामला, जो सासाइटी के या उसके शासी निकाय के या सोसाइटी के काम–काज का परिसमापन करने के प्रयोजनार्थ शासी निकाय के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के लिए बनाई गई किसी विशेष समिति के किसी सोसाइटी या शासी निकाय या विशेष समिति के किसी अधिवेशन में स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन द्वारा विनिश्चित किया गया हो, खण्ड (!) के अर्थान्तर्गत विवादग्रस्त विषय नही समझा जायेगा,

(iii) कोई सोसाइटी तब तक विघटित नही की जायेगी जब तक कि सदस्यों में से दो बटा तीन ने ऐसे विघटन के लिए इच्छा से ऐसे विशेष साधारण अधिवेशन में जो उस प्रयोजन के लिए बुलाया गया हो, स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त अपने मतों से, अभिव्यक्त न कर दी हो,

(iv) जब कभी कोई सरकार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सदस्य हो या अभिदायकर्ता हो या उसमें अन्यथा हितबद्ध हो तब ऐसी सोसाइटी का विघटन ऐसी सरकार की सम्मति के बिना नही किया जायेगा, और

(v) इस धारा की कोई बात किसी लिखित में ऐसी सोसाइटी के विघटन के लिए अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध पर प्रभाव डालने वाली नही समझी जायेगी।

14. विघटन पर किसी सदस्य का अधिशेष सम्पत्ति प्राप्त न करनाः– यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के विघटन पर, उसके सब ऋणों और दायित्वों की पुष्टि के पश्चात्, कोई भी सम्पत्ति रह जाय तो वह उक्त सोसाइटी के सदस्यों या उनमें से किसी को संदत्त या उनको वितरित नही की जायेगी,किन्तु किसी ऐसी अन्य सोसाइटी,चाहे वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, को दी जायेगी जो विघटन के समय पर स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन से अन्यून मतों द्वारा या उसके अभाव में ऐसे न्यायालय द्वारा जैसा पूर्वोक्त है, अवधारित की जायेगीः

परन्तु यह धारा किसी ऐसी सोसाइटी को लागू नही होगीजो संयुक्त कंपनी के रूप में शेयर–धारकों के अभिदायों से प्रतिष्ठापित या स्थापित की गई हो :

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात 13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी की सम्पत्ति के संदाय या वितरण के लिए लिखित में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध पर प्रभाव डालने वाली नही समझी जायेगी।

14–क अधिशेष सम्पत्ति सरकार को दी जा सकेगीः– धारा 14 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी के सदस्यों के लिए उनकी कुल संख्या के दो बटा तीन के अन्यून मतों द्वारा यह अवधारित कराना विधिपूर्ण होगा कि सोसाइटी के सब ऋणों एवं दायित्वों की तुष्टि के पश्चात् जों कोई भी सम्पत्ति रह जाय वह धारा 1 ख में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में सें किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने हेतु राज्य सरकार को दी जायेगी।

15. सोसाइटी के सदस्य की परिभाषाः– इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सोसाइटी का सदस्य ऐसा व्यक्ति होंगा जिसने उसके नियमों और विनियमों के अनुसार उसमें सम्मिलित कर लिए जाने पर चन्दा दे दिया हो या उसके सदस्य की नामावली या सूची में हस्ताक्षर कर दिये हों और ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार पद त्याग न किया हो या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी नियुक्ति या चयन ऐसे नियमों औरविनियमों के अनुसार ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय के व्यवस्थापक, निदेशक, न्यासी या सदस्य के रूप में हो गया हो किन्तु इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में कोई व्यक्ति, जिसका चन्दा उस समय तीन मास से अधिक का बकाया हो,सदस्य के रूप में मत देने या गिने जाने का हकदार नही होगा ।

16. शासी निकाय की परिभाषाः– परिषद्,समिति या अन्य निकाय(जो व्यवस्थापकों, निदेशकों,न्यासियों या सदस्यों से मिलकर बना हो) जिसकी सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम–काज का प्रबंध सौंपा गया हो,सोसाइटी के शासी निकाय होंगे।

17. अधिनियम के पूर्व बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत नही हुई सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरणः– (1) धारा 1–ख में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए स्थापित और गठित कोई सोसाइटी और धारा 20 में वर्णित प्रकार की अधिनियम के पारित होने से पूर्व इस प्रकार स्थापित और गठित धारा 21 द्वारा निरसित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हुई सोसाइटी,एतद् पश्चात् सोसाइटी के रूप में किसी भी समय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अनुसार रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी।

(2) ऐसी किसी सोसाइटी की दशा में यदि सोसाइटी की स्थापना पर ऐसा कोई शासी निकाय गठित न किया गया हो तो उसके सदस्यों के लिए यह

सक्षम होगा कि वे सम्यक् सूचना पर ,तब से सोसाइटी के लिए कार्य करने के लिए एक शासी निकाय बना लें।

[1] **18. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने की रजिस्ट्रार की शक्तिः**—(1) रजिस्ट्रार—

(क) किसी सोसाइटी की धारा 3 के अधीन,या

(ख) धारा 12—क के अधीन किये गये नाम परिवर्तन का,या

(ग) किसी सोसाइटी का धारा 17 के अधीन, रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करेगा,

यदि ऐसी सोसाइटी का प्रतिस्थापित नाम उस नाम के समरूप है जिसे किसी अन्य विद्यमान सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण किया गया,अथवा रजिस्ट्रार की राय में ऐसे किसी अन्य नाम से इतना सदृश्य है कि उससे जनता या दोनो में से किसी सोसाइटी के सदस्यों का प्रवंचित हो जाना संभाव्य है।

(2) उप धारा (1) के उपबन्ध धारा 21 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट सोसाइटियों पर और उस धारा की उप धारा (3) में निर्दिष्ट नाम परिवर्तन पर लागू होंगे और यदि धारा 21 की उप धारा (1) द्वारा निरसित विधियों के अधीन कोई दो या अधिक सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण समरूप नामों से या ऐसे नामों से जो रजिस्ट्रार की राय में में एक दूसरे से इतने सदृश्य है कि उनसे जनता या ऐसी सोसाइटियों के सदस्यों का प्रंवचित हो जाना संभाव्य है,किया गया है तो वह सोसाइटी जो सर्वप्रथम इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत की गई थी अपने मूल नाम से काम करना चालू रखेगीऔर ऐसी अन्य सोसाइटियां अधिनियम के प्रारम्भ से छः मास की कालावधि के भीतर अपने नाम यथोचित रूप से बदल लेगी और उनसे अपने नाम बदल लेने की रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी।

19. दस्तावेजो का निरीक्षण तथा उनकी प्रमाणित प्रतियांः— कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल की गई सब दस्तावेजों का निरीक्षण, हर निरीक्षण के लिए एक रूपये की फीस देकर कर सकेगा और कोई भी व्यक्ति किसी दस्तावेज या किसी दस्तावेज के किसी भाग की नकल या उद्धरण का रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जाना,ऐसी नकल या उद्धरण के हर सौ शब्दों के लिए पच्चीस पैसे देकर अपेक्षित कर सकेगा और ऐसी प्रमाणित प्रति सभी विधि कार्यवाहियों में उसमें अन्तर्विष्ट विषयों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी ।

20. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण या इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगाः—इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी, अर्थात्:—

---

[1] 2005 का राजस्थान अधिनियम सं. 4 द्वारा अन्तःस्थापित (18.08.2004 से प्रभावी)।

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [1](खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य,विज्ञान या ललित–कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां ।

21. निरसन और व्यावृतिः– (1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21)जैसा कि 1950 के राजस्थान अध्यादेश 4 के द्वारा पुनर्गठन राजस्थान राज्य के लिए अनुकूलित किया गया और सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण सबंधी समस्त विधिया जो राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर निरसित हो जायेंगी।

(2) उप धारा (1) में वर्णित विधियों में से किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त सोसाइटियां यदि वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जा सकती है तो तद्धीन रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी जायेंगी ।

(3) ऐसी सोसाइटियां जो उप धारा (2) में निर्दिष्ट है, के नामों में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व कियेगये समस्त परिवर्तन इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेगेंः

परन्तु यदि ऐसा परिवर्तन धारा 12 –ख के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नही हुआ है या उसकी प्राप्ति में कोई प्रमाणपत्र जारी नही किया गया है तो इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन मास के भीतर इस निमित्त रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र देने पर उस धारा के अधीन ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा और प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा ।

(4) उप धारा (1) में वर्णित विधियों के अधीन की गई अन्य समस्त कार्यवाहियां या दिये गये आदेश जब तक कि वे इस अधिनियम के के उपबन्धों के विरूद्ध या असंगत न हो, इस अधिनियम के की गई या दी गई यथा स्थिति समझी जायेगी।

(5) यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी गयी किसी सोसाइटी की दशा में धारा 4–क में विनिर्दिष्ट प्रकार की कोई कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व नही की गई है तो ऐसी कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् तीन मास के भीतर सर्व प्रथम और तत्पश्चात् उस धारा के अनुसार की जायेगी और ऐसा करने में असफल रहने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति धारा 4–ख के अधीन दायी होगा।

---

[1] 1995 का राजस्थान अधिनियम सं. 17 द्वारा अन्तःस्थापित (17.05.1995 से प्रभावी)।